

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 01/2022

## बउनवान

1. श्री कालूलाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति मीणा मृतक जरिये कायम मुकाम:

1/1. श्रीमति तस्वीरबाई पत्नि स्व० श्री कालूलाल मीणा निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

1/2. सुश्री विमला, सुश्री निर्मला, सुश्री सीमा पुत्रियान श्री कालूलाल नाबालिग जर्जे वली माता स्वयं श्रीमति तस्वीरबाई जाति मीणा निवासीगण ग्राम भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां

2. श्री फूलचन्द पुत्र श्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां

3. श्री गोपीलाल पुत्र श्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल जिला बारां

(प्रार्थीगण)

## बनाम

1. श्री कजोड़ीलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

2. श्री प्रभूलाल पुत्र श्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

3. श्रीमति पुष्पाबाई पुत्री श्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

4. श्रीमति कजोड़ीबाई पुत्री श्री शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

5. श्री भंवरलाल पुत्र श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

6. श्रीमति रमेशीबाई पुत्री श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

7. श्रीमति सुमित्राबाई पुत्री श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

8. श्रीमति मूर्तिबाई पुत्री श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

9. श्रीमति नट्टीबाई पुत्री श्री सूरजमल जाति गुर्जर निवासी भटवाड़ा तहसील मांगरोल

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां

(अप्रार्थीगण)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन, अभिभाषक

(प्रार्थी कम 1/1)

2. श्री ओमप्रकाश खंडेलवाल अभिभाषक

(प्रार्थी कम 2 व 3)

3. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक- 14.02.2023

प्रकरण में प्रार्थीगण/वादीगण कालूलाल, फूलचन्द, गोपीलाल पिसरान मोतीलाल द्वारा राजस्थान सरकार जर्जे तहसीलदार मांगरोल के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के तहत इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 1382 ग्राम भटवाड़ा का 9 बीघा 7 बिस्वा अर्थात 1.52 हैक्ट. रकबा को जो दौराने बन्दोबस्त सिवायचक में अंकित कर दिया गया है को सिवायचक में से खारिज किया जावे। वादी कालूलाल को आराजी खसरा नंबर 1375 का 16 बीघा रकबा अर्थात 2.56 हैक्टे. उत्तरी साईड का खातेदार काश्तकार करार दिया जावे। वादी फूलचन्द को खसरा नंबर 1375 ग्राम भटवाड़ा का 2 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.38 हैक्टे. रकबा तथा खसरा नंबर 1382 ग्राम भटवाड़ा का 5 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 0.90 हैक्टे. रकबा का खातेदार काश्तकार करार दिया जावे। वादी गोपीलाल को खसरा नंबर 1382 ग्राम भटवाड़ा का 3 बीघा 7 बिस्वा अर्थात 0.90 हैक्टे. रकबा का खातेदार काश्तकार करार दिया जावे। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड में अंकित रकबा का जावे व राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में दुरुस्ती की जावे।

उक्त दावा दिनांक 11.01.1999 को जिला कलक्टर द्वारा न्यायालय में दर्ज कर दिनांक 06.02.1999 को निर्णित किया गया, जिसके तहत प्रार्थीगण के खाते में कम हुई आराजी 1.52 है० खसरा नंबर 1378, 1332/1681, 1376, 1383, 1382 में से कुल रकबा 1.52

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया, जिसकी अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में की गई। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 26.07.2006 को पारित किया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा अपीलार्थी कजोड़ीलाल वगैरह की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर का निर्णय अपास्त कर समस्त पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया।

बहस के दौरान प्रार्थीगण फूलचन्द, गोपीलाल के विद्वान अभिभाषक ने उद्वेगित करवाया कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 22.10.1998 के अनुसार प्रार्थीगण की कुल 27 बीघा 17 बिस्वा भूमि खाते में दर्ज थी जो बाद में 1.52 है। भूमि कम कर दी गई। जिसकी पूर्ति खसरा नंबर 1382, 1375 में से करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि हाल खसरा नंबर 1382 रकबा 0.25 हैक्टे. भूमि अप्रार्थी प्रभूलाल को आवंटित हुई थी। जिस पर आवंटी काबिज काशत है। अतः खसरा नंबर 1382 में से पूर्ति नहीं की जा सकती।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। कालूलाल वगैरह द्वारा राजस्थान सरकार के विरुद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में दिनांक 05.06.1993 को पेश किया गया जो जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 11.01.1999 को न्यायालय जिला कलक्टर में मुन्तकिल किया गया।

जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर प्रार्थीगण कालूलाल, फूलचन्द, गोपीलाल पिसरान मोतीलाल के खाते में पूर्व में कुल 27 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटन होना माना जिसका 4.46 है. बनता है। परन्तु सेटलमेन्ट में 4.46 है. के स्थान पर 2.64 है. ही दर्ज होने के कारण आराजी खसरा नंबर 1378, 1332/1681, 1376, 1383, 1382 में से कुल रकबा 1.52 हे0 भूमि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किए। इसकी अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में कजोड़ीलाल वगैरह द्वारा करने पर जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 06.02.1999 निरस्त किया जाकर पक्षकारान की पुनः सुनवाई कर नए सिरे से निर्णय पारित करने हेतु जिला कलक्टर बारां के न्यायालय में रिमांड किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी गत खसरा नंबर 1119/2 रकबा 8 बीघा का आवंटन फूलचंद को, 1119/3 रकबा 8 बीघा का आवंटन कालूलाल को तथा 1119 रकबा 8 बीघा का आवंटन कालूलाल को किया गया। उक्त खसरा नंबरान मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2044-63 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1119 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 1375 रकबा 2.94 है. कायम किये गए जबकि 27 बीघा 17 बिस्वा का कुल रकबा 4.46 है0 होता है। अतः गत खसरा नंबरान का कुल रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा से कायम किए गए हाल खसरा नंबरान का कुल रकबा 1.52 है. रिकार्ड में कम दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा गोपीलाल को आवंटन की गई भूमि के संबंध में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को कुल 27 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटन किए जाने का पूर्ण सबूत प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया। उक्त गत खसरा नंबरान में से कायम किए गए हाल खसरा नंबरान का रकबा 1.52 है. कम होना प्रार्थीगण द्वारा बताया गया परंतु उक्त रकबा किस खसरा नंबरान में शामिल किया गया यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर  
बारां (राज.)